website: www.pawanprawah.com
डाक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020
सत्य का प्रवाह सतत् प्रवाह
लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

लेखक डॉ. भरत राज सिंह
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक
एवं वैदिक विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष हैं

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व वर्तमान स्थिति

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप नव गठित भारत सरकार 30 मई 2019, शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। निशंक ने दिनांक 31 मई 2019 को ही कार्यभार संभाला और जो मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ का अद्धयन किया । जिसकी सन्क्षिप्त विवरण का उल्लेख किया जा रहा है।

भाग-16

गतान्क से आगे

कम उम्र मे कुशल बनाने की कवायत

1993 की ऐतिहासिक यशपाल समिति की रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन (बोझ के बगैर सीखना) को आगे ले जाते हुए एनईपी छात्रों पर विषय सामग्री और पाठ्यपुस्तकों के बोझ को कम करने का जतन करती है और तोतारटंत पढ़ाई को हतोत्साहित करती है । लिहाजा, पाठ्यक्रम की रूपरेखा में जोर पाठ्यपुस्तकों से सीखने पर नहीं बल्कि इसके बजाए अपने हाथों से करने, अनुभव और विश्लेषण से सीखने पर होगा । कला, संगीत, दस्तकारी, खेल, योग और सामुदायिक सेवा सहित तमाम विषय पाठ्यक्रम के हिस्से होंगे । पाठ्यक्रम बहुभाषा, प्राचीन भारतीय ज्ञान पद्धतियों, वैज्ञानिक मिजाज, नैतिक विवेक, सामाजिक जिम्मेदारी, डिजिटल साक्षरता और स्थानीय समुदायों के सामने मौजूद बेहद अहम मुद्दों की जानकारी को बढ़ावा देगा ।

बोर्ड के इम्तिहान अब जिंदगी तय करने वाली और बेहद तनाव से भरी कवायद नहीं होंगे । कक्षा 8 और 12 के बीच छात्र साल में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं दे पाएंगे। बाद में, जब कंप्यूटरीकृत अनुकूल परीक्षा प्रणाली व्यापक रूप से मौजूद होगी, तब उन्हें बहुत-सी परीक्षाएं देने की इजाजत होगी, कम से कम 24 विषयों में, या औसतन एक सेमेस्टर में तीन। परीक्षा में केवल मूल क्षमताओं, बुनियादी शिक्षा, हुनर और विश्लेषण की परख की जाएगी। एनईपी कहती है, छात्रों को कोचिंग और रट्टा मारे बगैर आसानी से पास होना चाहिए ।

एक और अवधारणा, जो 1964 की कोठारी आयोग की रिपोर्ट से ली गई है, स्कूल परिसरों का निर्माण करने की है । सरकारी स्कूलों को नए सिरे से बनाकर संगठनात्मक और प्रशासनिक इकाइयों में बदला जाएगा, जिन्हें स्कूल परिसर कहा जाएगा । इनमें एक सेकंडरी स्कूल (कक्षा 9-12 तक) होगा और उसके आसपास कई दूसरे स्कूल होंगे जो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक की तालीम देंगे। स्कूल परिसर को अपने मातहत आने वाले सभी स्कूलों के अकादमिक और प्रशासनिक मामलों को संभालने की स्वायत्तता होगी और वे राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था के सबसे निचले पायदान के तौर पर काम करेंगे । परिसर के तमाम स्कूल शिक्षकों के एक साझा समूह की सेवाएं ले सकेंगे, जिससे कम शिक्षण संसाधनों वाले स्कूलों की भरपाई हो सकेगी ।

हालांकि प्रथम की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को लगता है कि एनईपी में प्राथमिक चरण के बाद स्कूली शिक्षा को लेकर साफ-साफ दिशानिर्देश नहीं हैं । वे कहती हैं कि प्राथमिक चरण से ऊपर आगे की प्रमुख बातें तो लिख दी गई हैं मगर इन बातों का तानाबाना बुनकर एक सुसंगत और व्यापक रूपरेखा बनाने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो किरण भट्टी एक बात और कहती हैं कि एनईपी ने कई उदात्त लक्ष्य तय किए हैं मगर यह स्कूल परिसर से शुरू होकर ठेठ जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण के बारे में कुछ नहीं कहती ।

शिक्षक निर्माण

ढांचागत और पाठ्यक्रम से जुड़े इन बदलावों के बावजूद एनईपी स्वीकार करती है कि शिक्षक वह धुरी होंगे जिनके चारों तरफ शिक्षा की इस क्रांति को अंजाम दिया जा सकता है । एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जे.एस. राजपूत को पूरा भरोसा है कि शिक्षकों को अधिकार संपन्न बना दिया जाए, तो यह नीति जरूर कामयाब होगी । वे कहते हैं, शिक्षा और शिक्षकों को उनका हक दो। शिक्षकों पर भरोसा करो, उन्हें पेशेवर तौर-तरीकों के साथ तैयार करो और उन्हें अपने कामों को अंजाम देने में सहायता दो । यह इस नीति के अमल की दिशा में पहला कदम होगा ।

एनईपी के मुताबिक, भविष्य में सभी शिक्षक चार साल की अनिवार्य उदार एकीकृत बैचलर डिग्री हासिल करेंगे और उसके बाद ही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सरीखी भर्ती परीक्षा में बैठ सकेंगे । देश भर में शिक्षकों को शिक्षा देने वाली हजारों की तादाद में चल रही संस्थाएं बंद कर दी जाएंगी और केवल बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थाएं ही बीएड की डिग्री देंगी ।

अलबत्ता माया मेनन को यह नाकाफी जान पड़ता है और इसके बजाए वे योग्यता प्राप्त शिक्षक का दर्जा हासिल करने के लिए लचीले तरीकों और वैकल्पिक रास्तों की पड़ताल करने पर जोर देती हैं, खासकर ऐसे पेशेवरों के लिए जो अपने करियर के बीच में शिक्षक बल से जुड़ना चाहते हैं । वे कहती हैं कि नए सिरे से तैयार शिक्षक प्रशिक्षण नीति को गुणवत्ता के हल्का

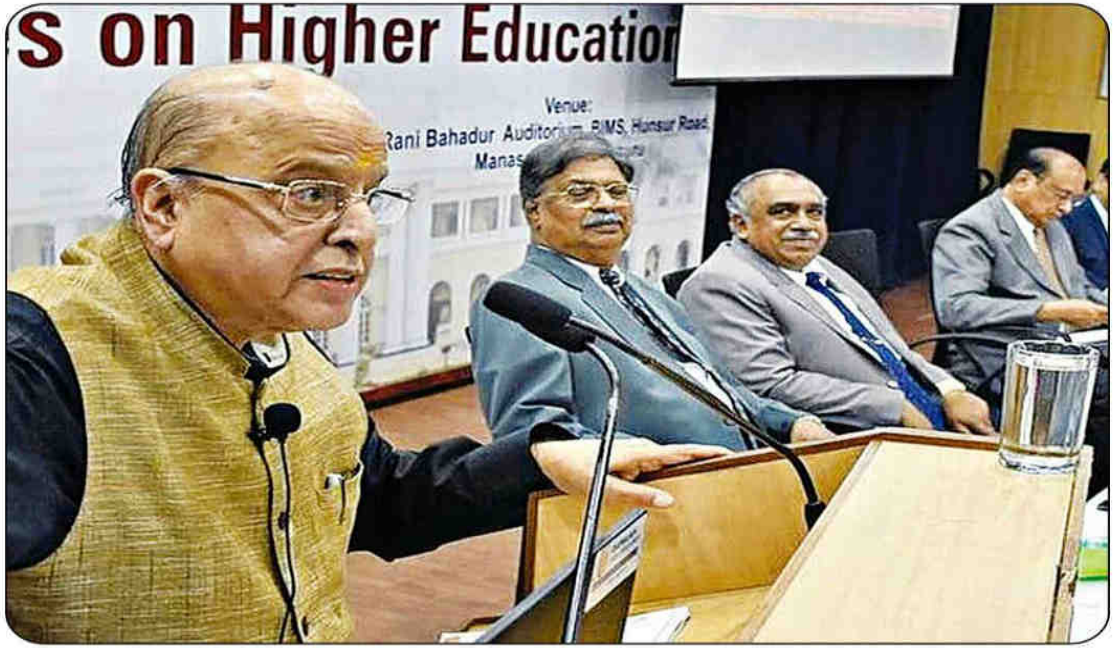

किए बगैर ज्यादा उदार होने की जरूरत है, जहां शिक्षक प्रशिक्षण के विश्वविद्यालय-आधारित बहु-विषयक कॉलेज एक रास्ता हो सकते हैं, वहीं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) का क्या होगा?

यह नीति शिक्षकों को बेहतर कामकाजी माहौल मुहैया करने का लक्ष्य भी तय करती है । मसलन, उन्हें चुनाव करवाने, मिडडे मील पकाने और दूसरे श्रम-साध्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों सरीखे गैर-शिक्षण सरकारी कामों से निजात दे दी जाएगी । असाधारण काम करने वाले शिक्षकों को मान्यता, पदोन्नति और तनख्वाह में बढ़ोतरी दी जाएगी; उन्हें यादातर उनके गृह नगर में ही नियुक्त किया जाएगा; कामकाजी माहौल, संसाधन सामग्री और प्रशिक्षण के लिहाज से सहायता दी जाएगी; उनकी जवाबदेही बनाए रखने के लिए वक्त-वक्त पर कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा । हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह नीति शिक्षकों की जवाबदेही तय करने में अब भी बहुत कुछ खाली छोड़ देती है । मेहरोत्रा कहते हैं, शिक्षकों की गैर-हाजिरी बड़ी बुराई है. यह नीति शिक्षकों के लिए जमीनी हकीकत के आधार पर निगरानी के किसी तंत्र की पेशकश नहीं करती ।

नालंदा-तक्षशिला मॉडल

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए, एनईपी में कुछ गगनचुंबी लक्ष्य हैं जैसे 2035 तक सकल दाखिला अनुपात 50 प्रतिशत (मौजूदा 25 प्रतिशत) करना, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआइ) को स्वायत्तता और देश के हर जिले में एक गुणवत्ता विश्वविद्यालय खोलना । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनईपी तक्षशिला और नालंदा के प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का उदाहरण देती है, जिसमें देश-विदेश के हजारों छात्र-छात्राएं जीवंत बहु-विषयक वातावरण में अध्ययन कर रहे थे । यह प्रस्ताव करती है कि 2030 तक, सभी एचईआइ इन तीन में से किसी एक प्रकार के संस्थान बन जाएं—अनुसंधान विश्वविद्यालय, शिक्षण विश्वविद्यालय और कॉलेज ।

एक विश्वविद्यालय का मतलब होगा उच्च-गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले बहु-विषयक एचईआइ. विश्वविद्यालय एक विषयक नहीं होंगे; सभी विश्वविद्यालय, जिनमें प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, बहु-विषयक होंगे ।

कस्तूरीरंगन का मानना है कि यह बहु-विषयक दृष्टिकोण भारतीय छात्रों को भविष्य के नौकरी बाजारों के लिए तैयार करेगा । वे कहते हैं, यह सोचें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जैसे तकनीकी विकास के कारण नौकरियां बहुत बदल सकती है या गायब हो सकती हैं । एआइ धीरे-धीरे परिष्कृत डोमेन-विशिष्ट कार्यों को संभालने में सक्षम होता जा रहा है, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना और बहु-विषयक जानकारियां प्रदान करना जरूरी है ताकि छात्रों को नई दुनिया में अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार किया जा सके।

यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार उदारवादी शिक्षा में चार साल के बहु-विषयक स्नातक की डिग्री को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, जिसमें कई निकास विकल्प और उपयुक्त प्रमाणीकरण होंगे । यह उसी तर्ज पर होगा जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने थोड़े समय के लिए लागू किया था, लेकिन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और वामपंथी झुकाव वाले फैकल्टी के विरोध के कारण वह उसे वापस लेने पर मजबूर हुए थे । एनईपी, हालांकि, तीन वर्षीय पारंपरिक स्नातक डिग्री को जारी रखने की भी अनुमति देती है ।

एनईपी इस बात को भी समझती है कि अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कोई शोध नहीं हो रहा है और विभिन्न विषयों में पारदर्शिता, शोध के लिए प्रतिस्पर्धी समीक्षा के साथ फंडिंग की कमी है । अधूरे अनुसंधान प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर्धी धन देने को एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी । यह उन शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान के बीजारोपण, उसे पल्लवित-पुष्पित करने और सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य भी तय करेगा जहां अनुसंधान फिलहाल शैशवावस्था में है । एनआरएफ को 20,000 करोड़ रु. का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा ।

हालांकि इस कदम की व्यापक सराहना की गई है, लेकिन विशेषज्ञों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए तवज्जो की कमी के लिए एनईपी की आलोचना भी की है । उच्च शिक्षा मंच के संस्थापक ए.के. सेनगुप्ता कहते हैं, गंभीर समस्या यह है कि देश स्नातकों के रोजगार के लिए अनुपयुक्तता की समस्या से जूझ रहा है और शिक्षा तथा कौशल के बीच उचित पारस्परिक संबंध का अभाव है । एनईपी इस समस्या के बारे में बात तो करती है, पर दिशानिर्देश स्पष्ट नहीं हैं 7 पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री एम.एम. पल्लम राजू ने भी यह कहा कि अकादमिक उद्योग को मजबूत बनाने के लिए एनईपी में कुछ खास नहीं है और फैकल्टी और उद्योग के बीच आदान-प्रदान के संबंध में भी कोई विशेष सिफारिश नहीं की गई है । वे कहते हैं, इसके अलावा, आइटीआइ और पॉलिटेक्निक किसी भी औद्योगिक राष्ट्र की रीढ़ हैं और इन्हें मजबूत करने की सिफारिशें भी इसमें नहीं हैं ।

हालांकि, अन्य लोगों को लगता है कि सभी धाराओं को एक ही नियामक—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण या एनएचईआरए—के तहत लाकर एनईपी वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवसाय के विस्तार को सुविधाजनक बना देती है । नारायण हेल्थ के अध्यक्ष और संस्थापक डॉ. देवी शेट्टी कहते हैं, दुनिया को 2030 तक 8 करोड़ पेशेवरों स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होगी । भारत को इनमें से एक बड़े हिस्से को वैश्विक मानकों का ज्ञान देने की आवश्यकता है ताकि वे वैश्विक बाजार के लिए उपलब्ध हो सकें । इस तरह के प्रशिक्षण के लिए नीतिगत प्रावधान होने चाहिए ।

क्रमशः शेष अगले अंक मे पढ़ें